न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

भैरूलाल वगै0 बनाम कन्हैयालाल वगै0

प्रार्थना–पत्र रेस्टोरेशन संख्या 2023/215

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
19/02/2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 301/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2005 के विरूद्ध अपीलांट की ओर से न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जो अपील कमांक 2012/202पर दर्ज रजिस्टर की गई। उक्त अपील संख्या 2012/202 न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.07.2023 द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.07.2023 के विरूद्ध अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील प्रस्तुत किया गया। रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 2012/202 की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत अपील संख्या 2012/202 न्यायालय हाजा में विचाराधीन थी जो दिनांक 18.07.2023 को प्रार्थीगण अपीलांटगण की अनुपस्थिति में खारिज कर दी गई। उक्त अपील में अपीलांट प्रार्थीगण की ओर से द्वारकालाल नागर एडवोकेट कोटा को नियुक्त किया हुआ था तथा सम्पूर्ण फीस भी अदा कर दी थी। वकील साहब द्वारा अपीलांट को हर पेशी पर आने से मना कर दिया था और कहा था कि अपील में पक्षकारान की आवश्यकता नहीं है जब भी आपकी जरूरत होगी आपको बुला लिया जावे। प्रार्थीगण अपने वकील साहब से सम्पर्क बनाते रहे है लेकिन वह कुछ समय से वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर पाये थे। उक्त अपील में दिनांक 18.07.2023 को वकील अपीलांट किसी कारण से अदालत में उपस्थित नहीं हो पाये तथा	

अपीलांट को भी उनके अनुपस्थित रहने की जानकारी नहीं हो पाई इस कारण भी वह उपस्थित नहीं हो पाये थे। इस कारण अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई। वकील अपीलांट द्वारा उक्त सम्बंध मं भेजी गई सूचना अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकी। अपीलांट लोकेश दिनांक 01.10.2023 को अपने अधिवक्ता से मिला तो उक्त अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 03.10.2023 को नकल प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र दिया तथा नकल प्राप्त होने पर पूर्ण जानकारी हुई। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र सर्वप्रथम जानकारी से अवधि मध्य पेश किया गया है। प्रार्थीगण गरीब ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीगण का अनुपस्थित रहने का कारण सद्भाविक एवं क्षमा किए जाने योग्य है। न्यायहित में अपील को नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2018(1) आर.आर.टी. पेज 601 प्रस्तुत किया।अन्त में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील रेस्टोर की जाकर सुनवाई किए जाने का आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की भली–भांति जानकारी रही है इसके बावजूद भी प्रार्थी ने जानबूझकर विलम्ब से प्रश्नगत रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में गलत तथ्य अंकित किए है। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में झूठे व मनगढ़न्त तथ्य अंकित किए है अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील मियाद बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील में मिथ्या, काल्पनिक व झूठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत अपील माननीय द्वारा दिनांक 18.07.2023 को खारिज फरमाकर निस्तारित की जा चुकी है। अदम तकमील में पत्रावली रेस्टोर नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मेन्टेनेबल नहीं है। उक्त परिस्थितियो मे रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2017 पेज 122, आर.बी.जे. 2004 पेज 200, आर.एल.डब्ल्यु. 2010(4) पेज 3517, आर.बी.जे. 2017 पेज 386, आर.बी.जे. 2016 पेज 20 प्रस्तुत किए। अन्त में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 2012/202 दिनांक 18.07.2023 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 29.11.2023 को प्रस्तुत किया गया है जो लगभग 4 माह 10 दिन बाद पेश किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए है जिसका अंकन न्यायालय हाजा की अपील संख्या 2012/202 की आदेशिका दिनांक 12.07.2023 में अंकित है। न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.07.2023 में आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 के कायम मुकाम की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने पर सी.पी.सी. के आदेश 9 नियम 5 के तहत अपील अदम तकमील में खारिज किए जाने के सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 12.07.2023 की अपीलांट प्रार्थी के अधिवक्ता को भलीं–भांति जानकारी थी। आदेशिका दिनांक 12.07.2023 पर अपीलांट के अधिवक्ता के हस्ताक्षर अंकित है अतः अपीलांट के अधिवक्ता को जानकारी होने का तथ्य प्रमाणित है। इसके बावजूद भी अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता दिनांक 18.07.2023 को जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। हमारे मत में यदि कोई आदेश किसी पक्षकार के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है तो अधिवक्ता की अनुपस्थिति के आधार पर अपील पेश करने में हुए डिले को कन्डोन नहीं किया जा सकता। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे.(11) 2004 पेज 199 से सहमत है जिसके अनुसार **"when in judgement presence of advocate has been recorded, delay in filing appeal cannot, be condoned on the plea that advocate of applicant was not present when judgement was pronounced."** हस्तगत प्रकरण में दिनांक 12.07.2023 को अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित थे तथा आदेशिका दिनांक 12.07.2023 पर उपस्थिति के रूप में अपीलांट के अधिवक्ता के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांट प्रार्थी को आदेश दिनां 18.07.2023 की जानकारी होने के बावजूद विलम्ब से

हस्तगत प्रार्थना–पत्र वास्ते रेस्टोरेशन अपील प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट प्रार्थी की ओर से विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किए जाने योग्य है। हमारे मत में न्यायालय हाजा द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 9 नियम 5 के तहत अपील संख्या 2012/202 अदम हाजरी अदम तामील में खारिज किए जाने का निर्णय दिनांक 18.07.2023 विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं है। अतः अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील खारिज किए जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना–पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा